रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2059] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 2010/आश्विन 13, 1932

No. 2059] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2010/ASVINA 13, 1932

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2419(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है :-

(i) श्री एम. एस. रेड्डी, विधायक

(ii) श्री टी. नंदकुमार, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त)

(iii) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) जे. के. बंसल, वी. एस. एम. चिकित्सा रत्न

[फा. सं. 44-12/2010-एन.डी.एम.-II]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2010

S.O. 2419(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated the following persons as members of said Authority, namely :—

(i) Shri M.S. Reddy, MLA

(ii) Shri T. Nandakumar, IAS (Retd.)

(iii) Maj. Gen. (Retd.) J.K. Bansal, VSM, Chikitsa Rattan

[F. No. 44-12/2010-NDM-II]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

3880 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.